



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

SSC - CGL

Prelims & Mains

STAFF SELECTION COMMISSION



भाग - 2

सामान्य जागरूकता (G.K.)

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “SSC CGL (COMBINED GRADUATE LEVEL)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “SSC CGL (COMBINED GRADUATE LEVEL)” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/we22vv>

Online Order करें - <https://shorturl.at/tD0Y8>

मूल्य :

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पेज नं.
	संविधान	
1.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2.	संविधान सभा	3
3.	संविधान की विशेषताएं	5
4.	संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र	8
5.	भारतीय नागरिकता	9
6.	मौलिक अधिकार	10
7.	नीति निर्देशक तत्व	12
8.	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति	14
9.	भारतीय संसद (विधायिका)	17
10.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	23
11.	उच्चतम न्यायालय	24
12.	राज्य कार्यपालिका	25
13.	मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता, राज्य विधानमण्डल	27
14.	उच्च न्यायालय	32
15.	पंचायती राज	34
16.	निर्वाचन आयोग	38
17.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	39
18.	नीति आयोग	40
19.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	41
20.	संविधान संशोधन	42
	भारत का भूगोल	
1.	सामान्य परिचय	43
2.	भौतिक विभाजन	45
3.	नदियाँ एवं झीलें	50
4.	जलवायु	55
5.	कृषि (agriculture)	57
6.	मृदा / मिट्टी	62

7.	प्राकृतिक वनस्पतियाँ	64
8.	प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन	67
9.	उद्योग (Industry)	70
10.	परिवहन तंत्र	74
	विश्व भूगोल	78
	• ब्रह्माण्ड एवं सौरमंडल	
	• महाद्वीप एवं महत्वपूर्ण स्थान	
	• एशिया की प्रमुख नदियाँ	
	• एशिया की प्रमुख जल संधियाँ	
	• अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं पठार	
	• पर्वत (Mountains) एवं पठार	
	• विश्व के प्रमुख महासागर और सागर	
	• देशों की संसदों के नाम	
	इतिहास	
	प्राचीन भारत का इतिहास	
1.	सिन्धु घाटी सभ्यता	111
2.	वैदिक काल	114
3.	बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म,	117
4.	महाजनपद काल	122
5.	मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल	123
6.	गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल	126
7.	कुषाण वंश एवं सातवाहन राजवंश	128
	मध्यकालीन भारत	
1.	अरबों का सिन्धु पर आक्रमण	130
2.	दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश	132
3.	भक्ति एवं सूफी आंदोलन	141
4.	बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य	144
5.	मुगल साम्राज्य (1526 - 1707 ई.)	146

आधुनिक भारत का इतिहास		
1.	यूरोपीय कम्पनियों का आगमन	154
2.	मराठा साम्राज्य	159
3.	अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ	161
4.	1857 की क्रांति से पूर्व के जन आंदोलन	167
5.	भारत में राष्ट्रीय जागरण या आंदोलन	171
6.	गाँधी युग और असहयोग आंदोलन	174
7.	क्रांतिकारी आंदोलन से आजादी तक	179
भारतीय संस्कृति		
1.	भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य / नर्तक	182
2.	भारतीय चित्रकला	184
3.	भारतीय नृत्य कलाएँ	186
4.	मुगलकालीन प्रमुख इमारतें	188
अर्थशास्त्र		
भारतीय अर्थव्यवस्था		
1.	अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएँ	191
2.	राष्ट्रीय आय और उत्पाद	193
3.	मुद्रा एवं बैंकिंग	194
4.	बजट एवं बजट निर्माण	196
5.	कर	199
6.	केंद्र सरकार की योजनाएँ	200
7.	गरीबी एवं बेरोजगारी	205
	विविध	207
	• महत्वपूर्ण दिवस	
	• विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची	
	• पुस्तक एवं लेखक	
	• भारत में सर्वाधिक बड़ा, लम्बा एवं ऊँचा	
	• विश्व में सबसे बड़ा छोटा, लम्बा तथा ऊँचा	
	• भारत में विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मानित व्यक्ति	

	• विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय	
	• आविष्कार-आविष्कारक	
	• भारत के प्रमुख खेल	
	• राष्ट्रीय खेल पुरस्कार	
	• भारत में विश्व धरोहर स्थल	
	• भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल 2024	
	• भारत के राजकीय पशु पक्षी , वृक्ष और फूल की सूची	
	• भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य	
	• केन्द्रीय मंत्रियों की सूची - 2024	
	• राज्यों की राजधानी और स्थापना दिवस	
	• केंद्र शासित प्रदेश 2024 केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची : Union	
	• शहरों / अभियानों के परिवर्तित नाम	
	• भौगोलिक संकेत (GI Tags) प्राप्त उत्पाद	
	• भारत में रामसर आर्द्रभूमियाँ	

संविधान

अध्याय - 1

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

➤ भारत का संवैधानिक विकास

ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत	ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत
रेग्युलेशन एक्ट -1773	भारत शासन अधिनियम-1858
पिट्स इंडिया एक्ट-1784	भारत परिषद् अधिनियम-1861
चार्टर एक्ट-1793	भारत परिषद् अधिनियम-1892
चार्टर एक्ट-1813	भारत परिषद् अधिनियम-1909
चार्टर एक्ट-1833	भारत शासन अधिनियम-1919
चार्टर एक्ट-1853	भारत शासन अधिनियम-1935
	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम-1947

कम्पनी का शासन [1773 से 1858 तक]

- भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आये।
- महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे।

1773 ई. का रेग्युलेशन एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' कहा गया।
- इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर 'बंगाल के गवर्नर जनरल' के अधीन हो गये।
- इसके अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 ई. में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया।
- बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे।
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश 'एलिजा इम्पे' थे।

1781 ई. का एक्ट ऑफ सेटलमेंट - रेग्युलेशन एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया।

- इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया।

1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरम्भ हुआ।
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स - व्यापारिक मामलों के लिए।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोलर - राजनीतिक मामलों के लिए।
- ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।

1793 ई. का चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गयी।

1813 ई. का चार्टर अधिनियम

- कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
- कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया।
- लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।
- 1813 ई. से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी किन्तु 1813 ई. के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गयी।

1833 ई. का चार्टर अधिनियम

- इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
- इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया।
- लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
- इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिये गए।
- भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस आयोग के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी।
- 1834 ई. में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।

1853 ई. का चार्टर अधिनियम

- 1793 से 1853 ई. के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गये चार्टर अधिनियम के श्रृंखला में अधिनियम अन्तिम था।
- इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया।
- इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारम्भ कर दिया।

ताज का शासन [1858 से 1947 ई. तक]

- 1861, 1892 और 1909 ई. के भारत परिषद् अधिनियम
- भारत शासन अधिनियम, 1919
- भारत शासन अधिनियम, 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

1858 ई. का भारत शासन अधिनियम

- भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया।
- भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गयी
- पंद्रह सदस्यों की भारत परिषद् का सृजन हुआ। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया।
- भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया।
- भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया।
- अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अन्तिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए।
- एक नए पद 'भारत के राज्य सचिव' का सृजन किया गया।

1861 ई. का भारत परिषद् अधिनियम

- 1862 ई. में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया।
- इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार किया गया।
- विभागीय प्रणाली का प्रारम्भ हुआ।

1873 ई. का अधिनियम

- इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्ध किया गया की ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है।
- 1 जनवरी 1884 ई. को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।

1876 का शाही उपाधि अधिनियम

- इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केन्द्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण का कार्य सौंपा गया।
- 28 अप्रैल 1876 ई. को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया।

1892 ई. का भारत परिषद् अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया गया।

1909 ई. का अधिनियम

- इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है।

- इसने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की परिषदों की संख्या 16 से 60 हो गई।
- इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया।
- सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने।
- इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया।

1919 ई. का भारत शासन अधिनियम

- इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया -हस्तान्तरित और आरक्षित।
- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरम्भ की।
- इसके अनुसार कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है।
- इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
- इस अधिनियम ने पहली बार केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया।
- इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया।
- भारत शासन अधिनियम, 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ई. में साइमन कमीशन का गठन किया गया था।

1935 ई. का भारत सरकार अधिनियम

- इसमें 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियाँ थीं।
- इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गयी।
- इस अधिनियम में केन्द्र एवं इकाइयों के बीच तीन सूचियों संघीय सूची (59 विषय), राज्य सूची (54 विषय), और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया।
- इसने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली (diarchy system) का शुभारंभ किया और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी।
- प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गयी।
- इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारम्भ की।
- इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद् को समाप्त कर दिया।
- इसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।
- इसमें ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान था।
- इसमें अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था।
- भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश (ordinance) निर्गत करने की शक्ति मूलतः इसी अधिनियम से प्रेरित है।

अध्याय - 8

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति पद अर्हताएँ (अनुच्छेद 58)

- भारत का नागरिक हो।
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।
- वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
- वह की लाभ के पद पर कार्यरत न हो।
- वह पागल या दिवालिया न हो
- भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से (आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले सदस्य -

- राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा होता है।
- भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह विधान मण्डल में उच्च सदन का सदस्य हो।
- राज्यों की विधान सभायें राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का तो भाग हैं परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है।

राष्ट्रपति की पदावधि (Term of Office)

- अनु. 56 के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होती है।
- संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता है।
- अनु. 61(1) के तहत, महाभियोग हेतु एकमात्र आधार 'संविधान का अतिक्रमण' उल्लिखित है।
- यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, नये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- यदि उपराष्ट्रपति, का पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (और यदि यह भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान या भूतपूर्व

राष्ट्रपति, संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

- पद- धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के संमुख शपथ लेनी पड़ती है।
- अनुच्छेद-77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका करवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई खी जाएगी। और अनु. 77 (3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।

राष्ट्रपति से सम्बंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनु.52 : भारत का राष्ट्रपति
अनु.53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनु.54 : राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
अनु.55 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनु.56 : राष्ट्रपति की पदावधि
अनु.57 : पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनु.58 : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ
अनु.59 : राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
अनु.60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनु.61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनु.62 : राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनु.72 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनु.73 : संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पांच वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है -

- उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जायेगा जो इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देगा। अनु. 56 (2)
- महाभियोग द्वारा हटायें जाने पर अनु 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनु. 61 (1) में उल्लेखित है वह है संविधान का अतिक्रमण।

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनु. 61) :-

- महाभियोग संसद में संपन्न होने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।
- राष्ट्रपति को 'संविधान का अतिक्रमण' करने पर उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है।

एक सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जाने पर दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा करवाएगा।

- संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस हेतु 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
- चूंकि संविधान राष्ट्रपति को हटाने का आधार और तरीका प्रदान करता है, अतः अनुच्छेद 56 और 61 की शर्तों के अनुरूप महाभियोग के अतिरिक्त उसे और किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता है।

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन अनु. 70

- जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनु. 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबन्ध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबन्ध कर सकती है। इसी उद्देश्य से
- संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969 ई. पारित किया। जो यह उपबन्धित करता है की यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को सम्पादित करेगा।
- राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है।
- राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है।
- राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास-स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।
- राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है।
- राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
- प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- सर्वोच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति।
 - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति।
 - राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति।
 - मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति।
 - भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति।
 - राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद के सदस्य।
 - संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों।
 - संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों।
 - वित्त आयोग के सदस्यों।

- भाषा आयोग के सदस्यों।
- पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों।
- अल्प संख्यक आयोग के सदस्यों।
- भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों।
- अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि।
- राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं।
 - संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त हैं।
 - संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति।
 - लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति।
 - संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है।
 - संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। (A) नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। (B) धन विधेयक अनु. 110 (C) संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनु. 117 (3) (D) ऐसे काराधान पर, जिसमें राज्य-हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक (E) राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक अनु. 304
 - यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है अनु. 108 के तहत।
 - किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं अनु. 113
 - जब राष्ट्रपति को यह लगे की लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है अनु. 331 के तहत।
 - इसी प्रकार वह कला, साहित्य पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्य सभा में नामजद कर सकता है अनु. 80 (3) के तहत।
 - राष्ट्रपति संसद के स्थगन के समय अनु. 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है।
 - सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किन्तु इसका वास्तविक प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है।
 - दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है।

अध्याय - 13

मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता, राज्य विधानमण्डल

मुख्यमंत्री

- राज्य क मंत्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा (अनुच्छेद 164)।
- मुख्यमंत्री बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए-
वह भारत का नागरिक हो।
25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो।
- इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को जो राज्य विधान-मण्डल का सदस्य नहीं भी हो, छः माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा।

मुख्यमंत्री के कार्य

- मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार की जाती है।
- यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का ही कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री, किसको राज्यमंत्री तथा किसको उप-मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद् का विस्तार करने का भी अधिकारी है।
- संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है।
- मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का पुनर्गठन भी कर सकता है।
- यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है।
- यदि मंत्री त्यागपत्र देने से इंकार करता है तो मुख्यमंत्री उसे अपदस्थ करवा सकता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष होता है। वह मंत्रिपरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अधिवेशनों की तिथि तय करना तथा उसके लिए कार्य सूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है।
- मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है (अनुच्छेद 167)।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमण्डल का भी नेता माना जाता है।
- विधानमंडल में महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है।
- विधानसभा को स्थगित और भंग किये जाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है।

- संविधान के अनुसार राज्यपाल उस समय मुख्यमंत्री का परामर्श नहीं लेता जब वह केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अन्य स्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करता है।
- राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। अतः मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक होता है।
- राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा (अनुच्छेद 165)।
- उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो राज्यपाल निर्धारित करे।
- राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) में या विधानपरिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा (अनुच्छेद 177)।

❖ राज्य विधानमण्डल

- संरचना संविधान के अनुच्छेद 168 (अध्याय-III) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है।
- इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान-मंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के एक या दोनों सदनों शामिल हैं।
- वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्वि-सदनीय विधानमंडल और शेष राज्यों में एकसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में भी विधान परिषद् है परंतु इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के अपने संविधान द्वारा की गई है।
- जिन राज्यों में दो सदन हैं वहाँ एक को विधानसभा तथा दूसरे को विधान परिषद् कहते हैं। जिन राज्यों में एक सदन है उसका नाम विधानसभा है।

राज्य व्यवस्थापिका की भूमिका

- राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य व्यवस्थापिका की केन्द्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है।
- संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमण्डल का संगठन, कार्यकाल, अधिकारियों, शक्तियों एवं विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया है। है।

विधानमण्डल में दो सदन हैं उच्च सदन विधानपरिषद् और निम्न सदन विधानसभा कहलाती है।

- वर्तमान में केवल सात राज्यों-कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में विधानपरिषद् है।
- संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य की

- पश्चिमी तटीय मैदान
- पूर्वी तटीय मैदान
- पश्चिमी तटीय मैदान में शामिल मैदान हैं
 - (a) गुजरात का तटीय मैदान
 - (b) कोंकण का तटीय मैदान
 - (c) कर्नाटक का तटीय मैदान
 - (d) मालाबार का तटीय मैदान
- पूर्वी तटीय मैदान में शामिल मैदान हैं
 - a. उत्कल (ओड़िशा) का तटीय मैदान
 - b. आंध्र का तटीय मैदान
 - c. तमिलनाडु का तटीय मैदान
 - d. पश्चिमी तटीय मैदान

अध्याय - 3

नदियाँ एवं झीलें

• नदियाँ

भारतीय अपवाह तंत्र

अरब सागरीय अपवाह तंत्र

बंगाल की खाड़ी का

- **अपवाह तंत्र** किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहते हैं।
- कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77 प्रतिशत भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं,
- जबकि 23% भाग जिसमें सिन्धु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियाँ शामिल हैं। अपना जल अरब सागर में गिराती हैं।

हिमालयी अपवाह तंत्र

- उत्तरी भारत की नदियाँ अपरदन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं तथा मैदानी भागों में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानों और समुद्रों में जमा कर देती हैं।
- इन्हीं नदियों द्वारा लायी गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है।
- इंडो ब्रह्म नदी:- भू-वैज्ञानिक मानते हैं, कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाखों वर्ष पहले एक विशाल नदी थी। जिसे शिवालिक या इंडो - ब्रह्म नदी कहा गया है।
- इंडो ब्रह्म नदी के तीन मुख्य अपवाह तंत्र -
 1. पश्चिम में सिन्धु और इसकी पाँच सहायक नदियाँ
 2. मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ
 3. पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ

भारतीय नदी प्रणाली

1. सिन्धु नदी तंत्र

- सिन्धु जल संधि 1960 में हुई थी।
- तीन पूर्वी नदियों - व्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत के पास है।
- तथा 3 पश्चिमी नदियों सिन्धु, झेलम, चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है।

1. व्यास, रावी, सतलुज

80% पानी भारत

20% पानी पाकिस्तान

2. सिन्धु, झेलम, चिनाब

80% पानी पाकिस्तान

20% पानी भारत

सिन्धु नदी तंत्र

- सिन्धु नदी का क्षेत्रफल 11 लाख, 65 हजार वर्ग km हैं।
- भारत में सिन्धु नदी का क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किमी हैं।
- सिन्धु नदी की कुल लम्बाई 2,880 किमी. हैं।
- भारत में सिन्धु नदी की लम्बाई केवल 1,114 km हैं।
- भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है।
- सिन्धु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी (मानसरोवर झील) में बोखर-चू के निकट एक चेमयांगडुंग ग्लेशियर (हिमनद) से होता है, जो 4,164 मीटर उँचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे शेर मुख कहते हैं।
- **सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम सिन्धु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।**
- अन्य सहायक नदियाँ - जास्कर, स्यांग, शिगार, गिलगिट, श्योक, हुंजा, कुर्रम, नुबरा, गास्टिंग व द्रास, गोमल।
- सिन्धु नदी, कराची (पाकिस्तान) के निकट अरब सागर में जाकर गिरती है।
- यह नदी अटक (पंजाब प्रांत, पाकिस्तान) के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है। जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है।
- यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है।
- पंचनद नाम पंजाब की पाँच मुख्य नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम को संयुक्त रूप से दिया गया है।
- सिन्धु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है।
- तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियाँ - यांग्त्सी-क्यांग, जियांग, हांगहो (पीली नदी, पीत), इरावदी, मेकांग एवं सतलुज।
- जास्कर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होता है।
- यह नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है तथा कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है।
- यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए नेमू के निकट सिन्धु नदी से मिल जाती है।

सतलुज नदी -

- यह एक पूर्ववर्ती नदी है।
- यह तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊँचाई पर मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील से निकलती है।
- वहाँ इसे लाँगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है।
- सतलुज नदी का संगम स्थल कपूरथला के द.- प. सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिन्धु नदी में है।
- यह उत्तर - पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो - तिब्बत सीमा के समीप शिपकी ला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करने से

पहले लगभग 400 km तक सिन्धु नदी के समान्तर बहती है।

- सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं - सिप्ती, वास्पा, व्यास
- यह हिमालय की श्रेणियों (महान हिमालय और जास्कर श्रेणी) को काटकर महाखड्ड का निर्माण करती है।
- सतलुज, सिन्धु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है तथा आगे जाकर व्यास नदी में मिल जाती है।

व्यास नदी (विपाशा नदी) :-

- यह सिन्धु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
- यह रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है।
- यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है।
- यह धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखण्ड का निर्माण करती है।
- यह हरिके बेराज के पास सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है।
- पार्वती, सैन्ज, तीर्थन, ऊहल इसकी सहायक नदियाँ हैं।

रावी नदी (परुष्णी नदी या इरावती नदी)

- यह नदी सिन्धु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
- जो हिमालय की कुल्लु की पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा चंबा घाटी से होकर बहती है।
- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले व सराय सिन्धु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीरपंजाल के दक्षिण-पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती है।
- अंत में ये झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है।

चिनाब नदी (अस्किनी)

- यह सिन्धु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- यह लाहुल में बरालाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा और भाग नामक दो सरिताओं के मिलने से बनती है।
- ये सरिताएँ हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं।
- इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है।
- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र 1180 किमी है।
- यह त्रिमू के निकट झेलम नदी में जाकर मिलती है।

झेलम नदी (वितस्ता)

- यह सिन्धु की सहायक नदी है।
- जो कश्मीर घाटी के दक्षिण-पूर्वी भाग में पीरपंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है।
- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखण्ड से गुजरती है।
- पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी से मिलती है।



प्रमुख सहायक नदियाँ हैं - सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, कबीनी (दाहिने तट पर) हेरगी, हेमावती, अक्रावती (बांये तट पर)

वैगाई नदी - यह तमिलनाडु के वरशानद पहाड़ी से निकलती तथा मदुरई शहर से बहते और पाक की खाड़ी में गिरती है।

ताम्रपाणी नदी - यह पालनी की पहाड़ियों से (अन्नामलाई पहाड़ियों का क्रमिक विस्तार) से निकलती है तथा अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है।

अरब सागर में गिराने वाली नदियाँ

शेतरुनीजी नदी - गुजरात के अमरावली जिले में डलकाहवा से निकलती है तथा अपना जल खम्भात की खाड़ी में गिराती है।

नर्मदा नदी -

- यह मध्य प्रदेश के मँकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है।
- दक्षिण में सतपुड़ा व उत्तर में विंध्याचल जोगीयों के मध्य यह भ्रंश घाटी में बहती हुई जबलपुर में भेडा घाट की संगमरमर की चट्टानों में धुआधार जल प्रपात बनाती है
- अंत में यह भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है तथा ज्वारनदसुख का निर्माण करती है।
- यह अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लम्बी (1312 किलोमीटर) नदी है
- यह तीन राज्यों मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है।
- सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है।

ताप्ती (तापी) नदी -

- इसकी उत्पत्ति मध्यप्रदेश के महादेव पहाड़ी के पास बेतुल जिले के मुलताई से निकलती है।
- सतपुड़ा श्रेणी व अजंता श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहते हुए सूरत शहर के आगे खम्भात की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
- इसकी द्रोणी मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है।

लूनी नदी - लूनी नदी अजमेर के दक्षिण-पश्चिम में नाग पहाड़ी (अरावली श्रेणी) से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है।

साबरमती नदी - यह उदयपुर जिले (राजस्थान) के पास अरावली श्रेणी से निकलती है तथा खम्भात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गांधीनगर व अहमदाबाद इस नदी के तट पर स्थित हैं।

माही नदी - इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी के पश्चिम से हुआ है। यह तीन राज्यों में मध्यप्रदेश, राजस्थान व गुजरात में प्रवाहित होते हुए अपना जल खम्भात की खाड़ी में गिराती है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है।

भादर नदी - गुजरात के राजकोट जिले से निकलती है तथा अपना जल अरब सागर में गिराती है।

वैतरणा नदी - यह नासिक जिले (महाराष्ट्र) की त्रिंबक की पहाड़ियों से निकलती है तथा अपना जल अरब सागर में गिराती है।

माण्डवी तथा जुआरी - यह गोवा की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं।

कालिंदी या काली नदी - यह कर्नाटक के बेलगाँव जिले से निकलती है तथा अपना जल करवाड़ की खाड़ी में गिराती है।

शरावती नदी - यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। तथा भारत का सबसे ऊँचा गरसोप्पा (जोग) जल प्रपात इसी नदी पर है।

पेरियार नदी - यह केरल की सबसे लम्बी नदी है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा वैम्बानाद के उत्तर में अपना जल अरब सागर में गिराती है।

भरतपूझा नदी - यह भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। यह केरल की सबसे बड़ी (जलग्रहण क्षेत्र) नदी है इसे पोंनानी ' के नाम से भी जानते हैं।

भारत की प्रमुख झीलें

झील	सम्बन्धित राज्य
वेम्बनाड	केरल
अष्टमुड़ी	केरल
पेरियार	केरल
हुसैन सागर	तेलंगाना
राकसताल	उत्तराखंड
देवताल	उत्तराखंड
रूपकुंड	उत्तराखंड
सातताल	उत्तराखंड
सांभर	राजस्थान
उदयसागर	राजस्थान
जयसमंद	राजस्थान
डिंडवाना	राजस्थान
फतेहसागर	राजस्थान
राजसमंद	राजस्थान
चिल्का	ओडिशा
वुलर	जम्मू-कश्मीर
मानस	जम्मू-कश्मीर
नागिन	जम्मू-कश्मीर
शेषनाग	जम्मू-कश्मीर
डल	जम्मू-कश्मीर
लोनार	महाराष्ट्र
सूरजकुंड	हरियाणा
पुलीकट	तमिलनाडु व आंध्रप्रदेश
हमीरसर	गुजरात

➤ पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता वाले शीर्ष 4 राष्ट्र

क्रम	राष्ट्र
1	चीन (33.6 %)
2	स.रा.अमेरिका(17.2%)
3	जर्मनी (10.4 %)
4	भारत (5.8 %)

- विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के बाद गैर-पारम्परिक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पवन ऊर्जा है।
- पर्याप्त उत्पादन के साथ आर्थिक महत्त्व वाले खनिज : लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला, सोना, इत्मेनाइट, बॉक्साइट व भवन निर्माण सामग्री आदि।
- पर्याप्त संरक्षित भण्डार वाले खनिज : औद्योगिक मिट्टियां, क्रोमाइट, अणु खनिज आदि।
- औद्योगिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किन्तु अल्प उपलब्धता वाले खनिज : टिन, गन्धक, निकल, तांबा, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, पारा, खनिज तैल आदि।
- देश में प्रमुख खनिजों के संरक्षित भण्डार निम्नानुसार हैं।
- **भारत में लौहा उत्पादित प्रमुख राज्य :-**

स्थान	राज्य	उत्पादन %	प्रमुख जिले
1	कर्नाटक	25 %	
2	उड़ीसा	22 %	मयूरभंज
3	छत्तीसगढ़	20 %	बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर, मण्डला, बालाघाट सरगुजा
4	झारखण्ड	18 %	
5	गुजरात		पोरबन्दर, भावनगर, नवागर बड़ोदरा जूनागढ़, खाण्डेश्वर
6	केरल		कोजीकोड
7	राजस्थान		जयपुर, दौसा, उदयपुर

मैंगनीज (Manganese)

- भारत में मैंगनीज के कुल भण्डार लगभग 23.3 करोड़ टन आँके गये हैं।
- मैंगनीज के कुल भण्डार की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के पश्चात् दूसरा स्थान है।
- संरक्षित भण्डारों की दृष्टि से कर्नाटक का देश में
- 37.8 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान है।
- भारत मैंगनीज उत्पादन में विश्व का पांचवा बड़ा देश है।

➤ मैंगनीज उत्पादक राज्य निम्न हैं -

स्थान	राज्य	उत्पादन %	प्रमुख जिले
प्रथम	उड़ीसा	37 %	
दूसरा	महाराष्ट्र	24 %	नागपुर, भण्डारा व रत्नागिरी
तीसरा	मध्यप्रदेश	20 %	बालाघाट छिन्दवाड़ा बिलासपुर, झाबुआ, माडला, घाट, बस्तर, जबलपुर व इंदौर
चतुर्थ	कर्नाटक	16 %	चित्तलदुर्ग, धारवाड़, बेलगाम, बेलारी, संदूर, शिमोगा, उत्तरीकनारा चिकमंगलूर, बीजापुर
पंचम	झारखण्ड		सिंहभूमि, धनबाद व हजारीबाग
षष्ठम	गुजरात		पंचमहल, बड़ोदरा
सप्तम	राजस्थान		बांसवाड़ा, गरपुर, उदयपुर सिरोही, पाली

तांबा (Copper)

- विश्व में ताँबा अयस्क (copper ore) का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है।
- देश में ताँबा सल्फाइड के रूप में मिलता है।
- ताँबा, टिन और सोना आदि के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है।
- ताँबे को टिन में मिलाने पर कांस्य तथा जस्ता के साथ मिलाने पर पीतल बनता है।
- भारत में ताँबा की कमी होने के कारण यह अमेरिका, कनाडा, एवं अफ्रीकी देशों से आयात किया जाता है।
- **भारत में ताँबा उत्पादित राज्य :-**

स्थान	राज्य	उत्पादन %	प्रमुख जिले
1	झारखण्ड	50 %	सिंहभूमि, मानभूमि, हजारीबाग, कोडरमा, गिरडीह, पलामू
2	राजस्थान	40 %	झुंझुनू अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चुर, झालावाड़
3	आंध्रप्रदेश		गुरु, नेल्लोर, कुड्डप्पा, कुरनूल, नलगोंडा, अनन्तपुर

एशिया की प्रमुख जल संधियाँ

जलसंधि	विशेषताएं
बेरिंग जलसंधि	अलास्का (अमेरिका) को रूस से करती है। पूर्वी चुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है।
तत्तर जलसंधि	रूसी मुख्यभूमि को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करती है। जापान सागर को ओखोट्स्क सागर से जोड़ती है।
ला-पेराज जलसंधि या सोया जलसंधि	जापान के होकडो द्वीप को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करती है। जापान सागर को ओखोट्स्क सागर से जोड़ती है।
सुगारु जलसंधि	होंकेंडो को होंशु द्वीप से अलग करती है। जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
कोरिया जलसंधि या सुशिमा जलसंधि	कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशू द्वीप से अलग करती है। पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है।
ताइवान जलसंधि (फोरमोसा जलसंधि)	ताइवान को चीन से अलग करती है। पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है।
लुज़ोन जलसंधि	ताइवान को लुज़ोन द्वीप से अलग करती है। दक्षिणी चीन सागर व फिलिपिन सागर को जोड़ती है।
मकरसार जलसंधि	सेलेबीस द्वीप को बोर्नीयो द्वीप से अलग करती है। सेलेबीस सागर को जावा सागर से जोड़ती है।
सुंडा जलसंधि	इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है। हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है।
मलक्का जलसंधि	मलेशिया (मलाया) को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। अंडमान सागर (हिंद महासागर) को दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) से जोड़ती है।

जोहोर जलसंधि	सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है।
पाक जलसंधि	भारत के पम्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है।
होर्मुज़ जलसंधि	यु. ए. ई. ओमान को ईरान से अलग करते हैं। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है।
बाब-एल-मंदेब जलसंधि	यमन को जिबूती से अलग करती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है।

एशिया की प्रमुख झीलें

झील	देश	विशेषताएं
कैस्पियन झील	अज़रबैजान, ईरान, कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस	एशिया-यूरोप महाद्वीप की विभाजक होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसमें वोल्गा और युराल जैसी प्रमुख नदियों का मुहाना है।
बाल्खस झील	कजाखस्तान	यह खारे पानी की झील है।
पेंगोंग झील	भारत, चीन	रामसर कन्वेंशन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) यहीं से गुजरती है।
टोनले सप झील	कंबोडिया	यह दक्षिण-पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण झील है।
वान झील	तुर्की	यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है।
बैकाल झील	रूस	विश्व की सबसे गहरी झील यहीं से लीना व अगारा नदियों का उद्गम होता है।
अरल	कजाखस्तान	आमू दरिया और सिर दरिया

बोनिफैसियो जलसंधि	कोर्सिका द्वीप को अलग करती हैं। टाइरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती हैं।	आद्रांटो जलसंधि	इटली को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बानिया देश से अलग करती हैं। एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती हैं।
उत्तरी चैनल	यह उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती हैं। आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता हैं।	कर्थ जलसंधि	क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्यभूमि से अलग करती हैं। अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती हैं।
डोवर जल संधि	फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती हैं। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती हैं।	वासपोरस जलसंधि	तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की के मुख्यभूमि से अलग करती हैं। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती हैं।
सेंट जॉर्ज चैनल	आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती हैं। यह आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ती हैं।	दार्देनेल्स जलसंधि	बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती हैं। मरमरा सागर व एजियन सागर को जोड़ती हैं।
मोसिना जलसंधि	इटली के सिसली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करती हैं। टाइरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती हैं।		

अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां

अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियां निम्नलिखित हैं :-

नदी	देश	विशेषताएं
नील नदी श्वेत नदी	उत्तरी सूडान, मिश्र युगांडा, दक्षिण सुडान, उत्तरी सूडान	यह नदी 'श्वेत नील' एवं 'ब्लू नील' के मिलने से बनी है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपियाई उच्चभूमि से होता है।
ब्लू नील	इथियोपिया, उत्तरी सूडान	ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद 'नील नदी' कहलाती है। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में अवस्थित है। मिस्र को 'नील नदी की देन' कहा जाता है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी (6,695 किमी.) है।
कॉन्गो(जायरे) नदी	कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो, अंगोला	यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर कॉन्गो गणराज्य की राजधानी 'किंशासा' व कॉन्गो की राजधानी 'ब्राज़ाविले' अवस्थित हैं। यह नदी विषुव रेखा को दो बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी बेसिन के विषुवरेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति 'पिग्मी' रहती है। कसई, उबॉंगी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कसई नदी बेसिन डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है।
ज़ाम्बेज़ी नदी	अंगोला, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया	नामीबिया, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमा ज़ाम्बेज़ी नदी के समीप आकर मिलती है। यह नदी ज़ाम्बिया व ज़िम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहीं पर विक्टोरिया

- ब्रिटेन के लेबर पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को जून 1948 ई. के पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की।

लॉर्ड माउंटबेटन मार्च -अगस्त 1947-1948):-

- माउंटबेटन योजना।
- भारत का विभाजन।
- स्वतंत्रता की प्राप्ति।

Do You know:-

- बंगाल का प्रथम गवर्नर-रॉबर्ट क्लाइव
- बंगाल का अंतिम गवर्नर-वारेन हेस्टिंग्स
- बंगाल का प्रथम गवर्नर-जनरल -वारेन हेस्टिंग्स
- बंगाल का अंतिम गवर्नर-जनरल -विलियम बैंटिक
- भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल -विलियम बैंटिक
- भारत का अंतिम गवर्नर-जनरल -लॉर्ड कैनिंग
- भारत के प्रथम वायसराय -लॉर्ड कैनिंग
- भारत के अंतिम वायसराय -लॉर्ड माउंटबेटन
- स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल -लॉर्ड माउंटबेटन
- भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल-सी. राजगपालचारी

Note :-

- 1858 से भारत के गवर्नर-जनरल को गवर्नर-जनरल तथा वायसराय दोनों नामों से जाना जाने लगा।

अध्याय - 4

1857 की क्रांति से पूर्व के जन आंदोलन

राजनीतिक - धार्मिक आंदोलन

फकीर विद्रोह (1776-77)

- यह विद्रोह बंगाल में विचरणाशील मुसलमान धार्मिक फकीरों द्वारा किया गया था।
- इस विद्रोह के नेता मजनु शाह ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हुए जमींदारों और किसानों से धन इकठ्ठा करना आरम्भ कर दिया।
- मजनु शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया।

संन्यासी विद्रोह (1770 - 1820)

- संन्यासी विद्रोह भारत की आज़ादी के लिए बंगाल में अंग्रेज़ हुकूमत के विरुद्ध किया गया एक प्रबल विद्रोह था।
- संन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे।
- इतिहास प्रसिद्ध इस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास 'आनन्दमठ' में मिलती है।

पागलपंथी विद्रोह (1813 - 33)

- उत्तर पूर्वी भारत में प्रभावी पागलपंथी एक धार्मिक पंथ था।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिन्दू मुसलमान और गारो तथा जांग आदिवासी इस पंथ के समर्थक थे।
- इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा क्रियान्वित भू-राजस्व तथा प्रशासनिक व्यवस्था के कारण व्यापक असंतोष था।
- इस विद्रोह को 1833 ई. में दबा दिया गया।

वहाबी आंदोलन (1820 - 70)

- वहाबी आंदोलन मूलतः एक इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन था। जिसने कालांतर में मुस्लिम समाज में व्याप्त अन्धविश्वास एवं कुस्तियों के उन्मूलन को अपना उद्देश्य बनाया।
- इस आंदोलन के संस्थापक अब्दुल वहाबी के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा।
- सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में इस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की

कूकाविद्रोह

- कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1860-1870 ई. में हुई थी।
- पश्चिमी पंजाब में 'कूका विद्रोह' की शुरुआत लगभग 1840 ई. में 'भगत जवाहर मल' द्वारा की गयी थी।
- भगत जवाहर मल को 'सियान साहब' के नाम से भी जाना जाता था।
- 1872 ई. में इसके एक नेता 'रामसिंह' को रंगून निर्वासित कर दिया और आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया गया।

समोसी विद्रोह

- समोसी मराठा राज्य के अधीनस्थ कर्मचारी थे अत्यधिक लगान वसूली के कारण 1822 में उन्होंने विद्रोह कर दिया।

गडकरी विद्रोह

- गडकरी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था।
- 1844 ई. में महाराष्ट्र में 'गडकरी जाति' के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह को अंजाम दिया।

सावंतवादी विद्रोह

- प्रवासीवादी विद्रोह: प्रवासीवादी विद्रोह भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था।
- प्रवासीवादी विद्रोह 1844 में हुआ था।
- प्रवासीवादी विद्रोह का नेतृत्व मराठा सरदार फोन्ड सावन्त ने किया था।

मुंडा एवं हो विद्रोह (1820-22)

कोल विद्रोह (1831)

- 1831 में छोटा नागपुर में यह कोल विद्रोह हुआ।
- इस विद्रोह का प्रमुख कारण कोल आदिवासियों की जमीन छीनकर मुस्लिम और सिख संप्रदाय के किसानों को दे दी इस विद्रोह में गंगा नारायण और बुद्धो भगत ने भूमिका निभाई।
- यह विद्रोह मुख्य रूप से रांची हजारीबाग पलामू मानभूम और सिंह भूमि क्षेत्र में फैला।

संथाल विद्रोह (1855)

- सन् 1855 ईस्वी में जमींदार और साहूकारों के अत्याचार और भूमि कर अधिकारियों के दमनात्मक व्यवहार के प्रति सिद्ध एवं कान्हू के नेतृत्व में राजमहल एवं भागलपुर के संस्थान आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया।

चुआर विद्रोह (1798)

- दुर्जन सिंह तथा जगन्नाथ के नेतृत्व में बंगाल के मिदनापुर जिले में 1798 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ।
- इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि कर एवं अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट था इस विद्रोह में यह विद्रोह रुक रुक कर 30 वर्षों तक चला।

खासी विद्रोह

- भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जब अंग्रेजों ने खासी की पहाड़ियों से लेकर सिलहट के बीच सड़क मार्ग बनाना प्रारंभ किया तो स्थानीय लोगों ने इसे ब्रिटिश राज्य का उनकी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मानते हुए विद्रोह किया।

अहोम आदिवासी विद्रोह (1828)

- यह ब्रिटिश सरकार ने 1828 ईस्वी में असम राज्य के अहोम प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया तो अहोम आदिवासियों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया।

फरायजी विद्रोह (1838)

- बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान पर फरायजी संप्रदाय के अनुमोदन पर शरीयातुल्ला ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया।

पश्चिम भारत के प्रमुख आदिवासी विद्रोह

भील विद्रोह (1818)

- 1818 में भील विद्रोह का प्रारंभ हुआ यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ।
- इस विद्रोह का मुख्य कारण कृषि से संबंधित परेशानियों और अंग्रेजों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स थे।
- 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया कार 1846 ई. तक भील विद्रोह चलता रहा,
- भील विद्रोह को भड़काने का आरोप ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्र्यंबक जी पर लगा दिया।

बघेरा विद्रोह

- यह विद्रोह ओखा मंडल के बघेरा लोगों द्वारा सन् 1818 से 1819 ई. तक बड़ौदा की गायकवाड़ राजा द्वारा किया गया।

किटूर विद्रोह

- किटूर के स्थानीय शासक की विधवा रानी चेन्नमा ने किया क्योंकि अंग्रेजों ने राजा के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी।
- यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया यह विद्रोह 1824 से 1829 ईस्वी तक चला।

कच्छ विद्रोह (1819)

- कच्छ के राजा भारमल को अंग्रेजों द्वारा शासन से बेदखल करना कच्छ विद्रोह का मुख्य कारण था।
- अंग्रेजों ने कच्छ के अल्प वयस्क पुत्र को वहां का शासक बना दिया और भू - कर में वृद्धि कर दी इसका विरोध स्वरूप भारमल और उसके समर्थकों ने 1819 में यह विद्रोह शुरू कर दिया।

भारत के अन्य प्रमुख विद्रोह

पॉलीगार विद्रोह 1801

- तमिलनाडु में नई भूमि व्यवस्था लागू करने के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सन् 1801 ईस्वी में वहां के स्थानीय पॉली वालों ने वीपी कट्टा बामन्नान के नेतृत्व में विद्रोह किया गया और यह विद्रोह 1856 ईस्वी तक चला।

पाइक विद्रोह (1817)

- मध्य उड़ीसा में पाइक जनजाति द्वारा सन् 1817 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक यह विद्रोह किया इस विद्रोह के नेतृत्व कर्ता बख्शीजग बंधु ने किया।

सूरत का नमक विद्रोह (1817)

- अंग्रेजों द्वारा नमक के कर में 50 पैसे की वृद्धि करने पर इसका विरोध करने के लिए 1844 ईस्वी में सूरत के स्थानीय लोगों ने यह विद्रोह किया इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बढ़ाए नमक करों को वापस ले लिया।

नागा विद्रोह (1931)

- नागा विद्रोह रोगमइ जदोनांग के नेतृत्व में भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड में हुआ।
- नागा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नागा राज्य की स्थापना करके प्राचीन धर्म को स्थापित करना था इस आंदोलन



राष्ट्रीय समुद्र दिवस	5 अप्रैल
विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल
CRPF वीरता दिवस	9 अप्रैल
ICCR स्थापना दिवस	9 अप्रैल
विश्व होम्योपैथी दिवस	10 अप्रैल
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस	11 अप्रैल
मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतराष्ट्रीय दिवस	12 अप्रैल
जलियांवाला बाग नरसंहार	13 अप्रैल
सियाचिन दिवस	13 अप्रैल
राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस	14 अप्रैल
अम्बेडकर जयंती	14 अप्रैल
विश्व कला दिवस	15 अप्रैल
विश्व आवाज़ दिवस	16 अप्रैल
विश्व हीमोफीलिया दिवस	17 अप्रैल
International Day for monuments and sites	18 अप्रैल
सिविल सेवा दिवस	21 अप्रैल
विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल
विश्व पुस्तक दिवस	23 अप्रैल
पंचायतीराज दिवस	24 अप्रैल
विश्व पशु चिकित्सा दिवस	24 अप्रैल
विश्व मलेरिया दिवस	25 अप्रैल
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस	26 अप्रैल
अंतराष्ट्रीय नृत्य दिवस	29 अप्रैल
आयुष्मान भारत दिवस	30 अप्रैल
मई	समारोह की तिथि
अंतराष्ट्रीय श्रमिक दिवस	1 मई
विश्व हास्य दिवस	2 मई
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	3 मई
विश्व अस्थमा दिवस	4 मई

कोयला खदान दिवस	4 मई
International Firefighters day	4 मई
विश्व एथलेटिक्स दिवस	7 मई
रवींद्रनाथ टैगोर जयंती	7 मई
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस	7 मई
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस	7 मई
विश्व रेड क्रॉस दिवस	8 मई
विश्व थैलेसीमिया दिवस	8 मई
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस	8 मई
मातृ दिवस	09 मई
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	11 मई
अंतराष्ट्रीय नर्स दिवस	12 मई
अंतराष्ट्रीय परिवार दिवस	15 मई
राष्ट्रीय डेगू दिवस	16 मई
विश्व दूरसंचार दिवस	17 मई
विश्व एड्स वैक्सीन दिवस	18 मई
विश्व संग्रहालय दिवस	18 मई
विश्व मधुमक्खी दिवस	20 मई
विश्व चाय दिवस	21 मई
आतंकवाद विरोधी दिवस	21 मई
International day for biological diversity	22 मई
विश्व कछुआ दिवस	23 मई
राष्ट्रमंडल दिवस	24 मई
विश्व भूख दिवस	28 मई
विश्व रक्त कैंसर दिवस	28 मई
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
जून	समारोह की तिथि
विश्व दुग्ध दिवस	1 जून
विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून

19.	हर्षचरित	बाणभट्ट
20.	रत्नावली	हर्षवर्धन
21.	कादम्बरी	बाणभट्ट
22.	प्रियदर्शिका	हर्षवर्धन
23.	नागानन्द	हर्षवर्धन
24.	मृच्छकटिकम्	शूद्रक
25.	पृथ्वीराज रासो	चन्द्रबरदाई
26.	कर्पूरमंजरी	राजशेखर
27.	इण्डिका	मेगास्थनीज
28.	पंचतंत्र	विष्णु शर्मा
29.	प्रबंध कोष	राजशेखर
30.	रसमाला	सोमेश्वर
31.	किरातार्जुनीयम्	भवभूति
32.	न्याय भाष्य	वात्स्यायन
33.	कामसूत्र	वात्स्यायन
34.	मालती माधव	भवभूति
35.	कीर्ति कौमुदी	सोमेश्वर
36.	उत्तर रामचरित	भवभूति
37.	कोकशास्त्र	कोका पंडित
38.	नीतिसार	कमण्डक
39.	काव्य मीमांसा	राजशेखर
40.	न्याय मंजरी	जयन्त
41.	शृंगार शतक	भर्तृहरि
42.	काव्य प्रकाश	मम्मट
43.	रसरत्नाकर	नागार्जुन
44.	अमरकोष	अमर सिंह
45.	शिशुपाल वध	माघ
46.	चरक संहिता	चरक
47.	सतसई	हाला
48.	नाट्यशास्त्र	भरत
49.	मिलिन्दपन्हो	नागसेन
50.	मिताक्षरा	विज्ञानेश्वर
51.	सूर्य सिद्धांत	आर्यभट्ट
52.	सुश्रुत संहिता	सुश्रुत
53.	माध्यमिका सूत्र	नागार्जुन
54.	गीत संग्रह	यमुनाचार्य
55.	इलाहाबाद प्रशस्ति	स्तम्भ हरिषेण
56.	अग्नि परीक्षा	आचार्य तुलसी
57.	आदि ग्रन्थ	गुरु अर्जुनदेव
58.	भोर का तारा	जगदीश चन्द्र माथुर
59.	मुक्ति बोध	जैनेन्द्र
60.	तुंगलकनामा	अमीर खुसरो
61.	हुमायूँनामा	गुलबदन बेगम
62.	तारीख-ए -यामिनी	उतबी
63.	तहकीक हिन्द	अलबरुनी

64.	तारीख-ए मुबारकशाही	- अहमद सरहिन्दी
65.	किताब-उल-रहला	इब्नबतूता
66.	तारीख-ए-फिरोजशाही	जियाउद्दीन बरनी
67.	तारीख-ए-अलाई	अमीर खुसरो
68.	आवारा मसीहा	विष्णु प्रभाकर
69.	अकबरनामा	अबुल फजल
70.	तुजुक-ए-बाबरी	बाबर
71.	शाहजहाँनामा	इनायत खान
72.	आइन-ए-अकबरी	अबुल फजल
73.	आलमगीरनामा	मिर्जा मुहम्मद काजिम
74.	पादशाहनामा	अमिनई कज्विनी
75.	मुतखब-उत-तवारीख	बदायूनी
76.	द लाइफ डिवाइन	अरविंद घोष
77.	इंडिया विंस फ्रीडम	मौलाना अबुल कलाम आजाद
78.	पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रुल इन इंडिया	दादाभाई नौरोजी
79.	माई टुथ	इंदिरा गाँधी
80.	द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद टुथ	मोहन दास करमचंद गाँधी
81.	माई अर्ली लाइफ	मोहन दास करमचंद गाँधी
82.	ऑटोबायोग्राफी	जवाहर लाल नेहरू
83.	द डिस्कवरी ऑफ इंडिया	जवाहर लाल नेहरू
84.	माई स्टोरी	कमला दास
85.	अनहैप्पी इंडिया	लाला लाजपत राय
86.	प्रिजन डायरी	जय प्रकाश नारायण
87.	ग्लिमप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री	जवाहर लाल नेहरू
88.	अनटचेबल	मुल्कराज आनंद
89.	द बिग हर्ट	मुल्कराज आनंद
90.	द रिलिजन ऑफ मैन	रवीन्द्रनाथ टैगोर
91.	इंडियन फिलॉसफी	डॉ.एस. राधाकृष्णन
92.	ईस्ट एण्ड वेस्ट इन रिलिजन	डॉ.एस.राधाकृष्णन
93.	द गोल्डन थ्रेसहोल्ड	सरोजिनी नायडू
94.	द बर्ड ऑफ टाइम	सरोजिनी नायडू
95.	द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस	वी.डी. सावरकर
96.	द इंडियन स्ट्रगल	सुभाषचन्द्र बोस
97.	आईडल्स	सुनील गावस्कर
98.	द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स	अरुन्धती राय
99.	इंडिया हाउस	कुलदीप नैयर
100.	डाउन द मेमोरी लेन	मदर टेरेसा

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

(Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKjl4nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vI>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp - <https://wa.link/we22vv> 1 web.- <https://shorturl.at/tD0Y8>

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.